

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.4(254)वित्त-1(1)आ.व्यय/2012/

जयपुर, दिनांक : 25.03.14

संबंधित कोषाधिकारी,  
राजस्थान | (बीकानेर एवं जैसलमेर को छोड़कर)

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या - 885/2013-14)

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के लिए जनता जल योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 की राशि का पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में हस्तान्तरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 4 ( ) परावि/पी.सी./ज.ज.यो. बजट/2013-14/463 दि० 19.03.14 के साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रुपये 1298.33 लाख (अक्षर रूपये बारह करोड़ अठायान्चे लाख तैतिस हजार मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे:-

—व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग संख्या -- 41

बजट मद

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197- ब्लॉक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

(09)- तदर्थ सहायता

[03]- जनता जल योजनान्तर्गत संधारण

19 - विद्युत प्रसार एवं जल व्यय

21- अनुसंधान एवं गरम्मत (मैन्टिनेंस)

(आयोजना भिन्न)

राशि रूपये 998.33 लाख

राशि रूपये 300.00 लाख

राशि रूपये 1298.33 लाख

(अक्षर रूपये बारह करोड़ अठायान्चे लाख तैतिस हजार मात्र)

(संलग्न सारणी के अनुसार)

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित पंचायत समितियों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के पालन का दायित्व प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग का होगा तथा आवश्यकता होने पर निर्वाचन विभाग से अनुमति प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी।

मवदीय


— Sel —

(एम.एल. आचार्य)

शासन उप सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकर, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त (बीकानेर एवं जैसलमेर जिले को छोड़कर)
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त। (बीकानेर एवं जैसलमेर जिले को छोड़कर)
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

  
शासन सचिव, वित्त (बजट)